कार्यालयः वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

Office of Conservator of Forests, Territorial Circle, Medininagar.

ईमेल / Email: **cfmedininagar@gmail.com**

दूरभाष / Phone: **06562.224953,8987790232**

पत्रांक– 189 **मेदिनीनगर, दिनांकः– 29.04.2025**

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची ।

विषयः– **मेसर्स सी0सी0एल0 के मगध रेलवे साईडिंग हेतु 121.29 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अंतर्गत 17.01 हे0 एवं लातेहार वन प्रमण्डल अंतर्गत 104.28 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव** (FP/JH/RAIL/47332/2020) **के संबंध में।**

प्रसंगः– **आपका ज्ञापांक 72 दिनांक 21.01.2025 एवं वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल का पत्रांक 645 दिनांक 22.03.2025**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी लातेहार वन प्रमण्डल द्वारा लातेहार वन प्रमण्डल के प्रशासनिक क्षेत्राधीन मगध रेलवे साइडिंग हेतु लातेहार वन प्रमण्डल अन्तर्गत (अधिसूचित वन भूमि 71.17 हे0 एंव जंगल झाड़ी 33.11 हे0) कुल 104.28 हे0 वनभूमि अपयोजन का समर्पित प्रस्ताव में भवदीय का ज्ञापांक 72 दिनांक 21.01.2025 द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का बिन्दुवार निराकरण करते हुए निराकरण प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जो निम्नवत हैः–

क्रम संख्या	पृच्छित बिन्दु	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर का अभियुक्ति
1.	परियोजना में प्रस्तावित वनभूमि एवं गैर वनभूमि का KML में निरंतरता नहीं (Continuity) नहीं है। साथ ही परियोजना में गैर वनभूमि KML का अपलोड नहीं है। वनभूमि / गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी एवं गैर वनभूमि का KML अलग–अलग रंगों में द ाया जाना आव यक है। अतएव वनभूमि सम्पूर्ण KML अपलोड किया जाना अपेक्षित है।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल ने प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना में प्रस्तावित वनभूमि एवं गैर वनभूमि का KML निरंतरता में अपलोड कर दिया गया है। साथ ही वन भूमि को हरे रंग, गैर मजरूआ जंगल झाड़ी को मैजेन्टा (Magenta) रंग में एवं गैर वन भूमि को बगैर रंग का KML Upload कर दिया गया है।

2.	परियोजना में वनभूमि / गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि में प्रतिवेदित Violation का Details तथा वनवाद की वर्तमान अद्यतन स्थिति अप्राप्त है।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल ने प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सक्षम स्तर से बिना पूर्वानुमति के विषयांकित परियोजना में शामिल मौजा–आरा, चमातु, चेड़रा, चेटर, सेरेगडा में वन भूमि में गैर वानिकी कार्य जंगलों को उजाड़कर मिट्टी कटाई भराई का कार्य किया गया तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण वन क्षेत्र पदाधिकारी, बालूमाथ द्वारा CCL & RITES के पदाधिकारियों के विरूद्ध वन वाद संख्या 455 / 2019, 877 / 2023, 878 / 2023, 879 / 2023, 880 / 2023 तथा 886 / 2023 दायर किया गया एवं सभी वादों में अभियोजन प्रतिवेदन समर्पित किया जा चूका है। उक्त वन वाद में मौजावार शामिल वन भूमि की विवरणी निम्नवत है :– आरा– 32.50 एकड़ चमातु– 16.50 एकड़ चेड़रा– 1.3 एकड़ चेटर– 12.5 एकड़ सेरेगडा– 15.5 एकड़ उपरोक्त के अतिरिक्त गैर मजरूआ जंगल झाड़ी भूमि कुल 9.62 हे0 पर गैर वानिकी कार्य किया गया है जिसके विरूद्ध उचित कार्रवाई हेतु उपायुक्त, लातेहार को इस कार्यालय का पत्रांक 1041 दिनांक 24.07.2024 एवं पत्रांक 307 दिनांक 11.02.2025 द्वारा अनुरोध किया गया है। उपायुक्त, लातेहार के द्वारा की गयी कार्रवाई से संबंधित सूचना इस कार्यालय को अप्राप्त है। पूर्व में प्रतिवेदित वन भूमि / जंगल झाड़ी भूमि पर अतिक्रमण के अलावा वर्तमान में वन भूमि / जंगल झाड़ी भूमि पर अतिरिक्त अतिक्रमण के संबंध में वन क्षेत्र पदाधिकारी, बालूमाथ से जांच करवायी

		गयी। वन क्षेत्र पदाधिकारी द्वारा अपने अधिनस्थ कर्मचारियों एवं CCL मगध के पदाधिकारियों के साथ परियोजना में सन्निहित वन भूमि का निरीक्षण के उपरांत प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता संस्थान द्वारा पूर्व में किये गये Violation के अलावा वर्तमान में किसी प्रकार का Violation नही किया गया है। जांच प्रतिवेदन अनुलग्नक–1 पर संलग्न है।
3.	परियोजना में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्ताव के पार्ट–II में लातेहार वन प्रमण्डल अंतर्गत मौजा–बालु का अपलोड KML file उचित Format में नहीं रहने के कारण खुल नहीं पा रहा है। इसे Proper रूप में KML file को अपलोड किया जाना अपेक्षित है।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल ने प्रतिवेदित किया है कि परियोजना में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्ताव के पार्ट-II में मौजा–बालु का KML file उचित रूप में अपलोड कर दिया गया है।

इस कार्यालय का पत्रांक 146 दिनांक 03.04.2025 के द्वारा विषयक मामले की संचिका निराकरण प्रतिवेदन तथा अग्रसारण पत्र प्रारूप वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 4542 दिनांक 08.10.2014 के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु भेजी गयी। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर ने अपने पत्रांक 569 दिनांक 25.04.2025 द्वारा अनुमोदनोंपरांत संचिका वापस किया गया।

अतः विषयक परियोजना प्रस्ताव के संदर्भ में पृच्छित बिन्दुओं का बिन्दुवार निराकरण प्रतिवेदन की 5 (पाँच) प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भवदीय को समर्पित की जा रही है।

अनु0:–   यथोक्त।

विश्वासभाजन

28/4/25

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

29.4.25